उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4-8-1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8-8-1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19-8-1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22-8-1972 ई० को प्रकाशित हुआ)

ग्रामीण विकास की कतिपय योजनाओं के लिए रक्षित संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से कृषि भूमि पर कर आरोपित करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 जुलाई, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'मध्यवर्ती' का तात्पर्य स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध में पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी, दवामी काश्तकार, हिस्सेदार (परगना असकोट के हिस्सेदार से भिन्न) अपनी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो किसी खायकर द्वारा धृत न हो, परगना असकोट के हिस्सेदार अपनी ऐसी भूमि के संबंध में जो किसी गुजारेदार अथवा खायकर द्वारा धृत न हो अथवा परगना असकोट के गुजारेदार से है;

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये, कृपया दिनांक 4-8-1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

(ख) 'खायकर' का वही तात्पर्य है जो कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजनों में प्रयोज्य भौमिक अधिकार से संबंधित वर्तमान विधि में उक्त पद के लिए दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत मौरूसीदार या हलबन्दी माफीदार नहीं है;

(ग) 'भूमि' का तात्पर्य ऐसी कृष्ट अथवा अकृष्ट भूमि से है जिसके सम्बन्ध में राजस्व का निर्धारण या भुगतान किया जाय या किये जाने के लिए दायी हो, तथा जो—

(1) किसी भूमिधर या सीरदार द्वारा; या

(2) किसी मध्यवर्ती द्वारा, यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो, या उसकी सीर या खुदकाश्त या बाग के रूप में हो—

कृषि, औद्यानिकी या पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुटपालन भी है, से सम्बन्धित प्रयोजनों के निमित्त, धृत या अध्यासित हो;

(घ) 'कर' या 'भूमि विकास कर' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन देय कर से है;

(ङ) पद 'अदना मालिक' और 'मातहतदार' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में दिये गये हैं;

(च) पद 'कृषि वर्ष', 'बाग', 'खुदकाश्त', 'अवध में पटटेदार दवामी या इस्तमरारी', 'दवामी काश्तकार', 'सीर' और 'ठेकेदार' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 में दिये गये हैं;

(छ) पद 'भूमिधर', 'सीरदार' और 'स्वामी' के वही अर्थ हैं जो उनके लिये 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिये गये हैं; और

(ज) पद 'हिस्सेदार' का वही अर्थ है जो कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 में उसके लिये दिया गया है।

करारोपण

3—प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये सभी भूमि पर अनुसूची में निर्दिष्ट दर से एक कर जो भूमि विकास कर कहलायेगा भारित तथा आरोपित किया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में, उक्त कर केवल आधा भारित तथा आरोपित किया जायगा तथा उसका भुगतान किया जायगा।

वसूली की रीति

4—किसी भूमि पर आरोपण, और भुगतान के प्रयोजनार्थ, भूमि विकास कर ऐसी भूमि के संबंध में देय भू-राजस्व का भाग समझा जायगा और उसमें सम्मिलित किया जायगा, और तद्नुसार, कर के सम्बन्ध में, यथास्थिति 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का अध्याय 10 (धारा 247—ख और बन्दोबस्त से संबंधित उपबन्धों को छोड़कर) या यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 8 के उपबन्ध और उक्त उपबन्धों के संबंध उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये कोई नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे राजस्व के संबंध में लागू होते हों :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम जुलाई, 1971 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के संबंध में कर भू-राजस्व की रबी किस्त का भाग समझा जायगा तथा उसमें सम्मिलित किया जायगा।

उपयोग

5—(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार राज्य की संहत निधि से भूमि-विकास कर के मद्दे पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि में से साठ प्रतिशत के बराबर धनराशि निकालेगी और उसे एक पृथक् निधि में जमा करेगी जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास निधि कहलायेगी, और उक्त निधि में इस प्रकार की धनराशि का जमा किया जाना राज्य की संहत-निधि पर भारित व्यय होगा।

(2) उत्तर प्रदेश ग्रामीण-विकास निधि से किसी भी धनराशि का, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रयोजनों के सिवाय, न तो भुगतान किया जायगा और न ही उसका प्रयोग किया जायगा:—

(क) सिंचाई;

(ख) चिकित्सा संबंधी सुविधायें, और सार्वजनिक स्वास्थ्य;

(ग) सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण ;

(घ) विद्युतीकरण;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पेयजल सम्भरण।

(3) उक्त निधि, जिसके अन्तर्गत उसके जमा खाते की धनराशि का निवेश या पुनर्निवेश भी है, का अनुरक्षण और संचालन इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(4) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार, संहत निधि में से भूमि विकास कर के मद्दे पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि में से चालीस प्रतिशत के बराबर धनराशि निकालेगी, और—

(क) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर धनराशि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 99 के अधीन स्थापित जिला निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे;

(ख) इस प्रकार प्राप्त धनराशि के पचीस प्रतिशत के बराबर धनराशि में से पचास लाख रुपयों की धनराशि, राज्य विद्युत् परिषद् को, ऐसे ग्रामों में जहां विद्युतीकरण हो चुका हो, सड़कों पर रोशनी के लिये प्रयुक्त बिजली के लैम्पों को ऊर्जा के यथोचित सम्भरण हेतु देगी और शेष को उक्त धारा 99 के अधीन स्थापित क्षेत्र निधियों तथा यू० पी० पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 32 के अधीन स्थापित गांव-निधियों में उस अनुपात में जमा करेगी, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

(5) उपधारा (4) में उल्लिखित धनराशियों का उस धारा के उपबन्धों के अनुसार व्यय राज्य की संहत निधि पर भारित होगा।

(6) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 या यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, 1947, जैसी भी दशा हो, में किसी बात के होते हुये भी,—

(क) कोई जिला परिषद् जिला निधि में इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का, सिवाय प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा सड़कों के निर्माण या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना, कार्यों के प्रयोजनार्थ, न तो भुगतान करेगी और न उसका प्रयोग करेगी;

(ख) कोई क्षेत्र समिति या गांव सभा, क्षेत्र निधि या, यथास्थिति, गांव निधि में इस प्रकार जमा की गई धनराशियों को सिवाय ऐसी पेयजल योजनाओं, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, सड़कों व पुलियों व नालियों के निर्माण और अनुरक्षण, और विद्युतीकरण के प्रयोजनार्थ, न तो भुगतान करेगी और न उसका प्रयोग करेगी।

नियम बनाने की शक्ति

6—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

निरसन तथा अपवाद

7—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 16 जून, 1972 को प्रवृत्त हो गया था।

अनुसूची
(धारा 3 देखिये)

भूमि विकास कर निम्नलिखित दर से देय होगा :—

(क) किसी भूमिधर या सीरदार की दशा में—

(1) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1.2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो।	कुछ नहीं।

(2) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 1·2647 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक किन्तु 2·5293 हेक्टर (6·25 एकड़) से अधिक न हो।	उसके अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 247-ख की उपधारा (5) के अधीन देय समझे जाने वाले भू-राजस्व का 50 प्रतिशत।
(3) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 2·5293 हेक्टर (6·25 एकड़) से अधिक किन्तु 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक न हो।	उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 100 प्रतिशत।
(4) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक हो।	उसके द्वारा अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत।
(ख) किसी मध्यवर्ती की दशा में।	उसके द्वारा देय भू-राजस्व का 150 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए :—

(क) 'परिवार' के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं, हैं ;

(ख) 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 247-ख की उपधारा (2) के अन्तर्गत अंशों का अवधारण अन्तिम और बन्धनकारी होगा।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—189 जनरल (लेग०)—1972—1,805 (मे0)।

THE UTTAR PRADESH LAND DEVELOPMENT TAX ACT, 1972

(U. P. ACT NO. 35 OF 1972)

(**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Bhoomi Vikas Kar Adhiniyam, 1972*)

AN

ACT

to provide for the levy of a tax on agricultural land with a view to raising resources earmarked for certain schemes of rural development and for matters connected therewith.

IT IS hereby enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Land Development Tax Act, 1972.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on July 1, 1971.

Definitions,

2. In this Act unless the context otherwise requires,—

(*a*) "intermediary" means a proprietor, under-proprietor, sub-proprietor, *thekedar*, permanent lessee in Avadh, permanent tenure-holder, *hissedar* (other than a *hissedar* in Pargana Askot) in respect of his

---

(For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 4, 1972.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 4, 1972, and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 8, 1972.)

(Received the Assent of the Governor on August 19, 1972 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 22, 1972.)

land not held by a *khaikar, hissedar* in Pargana Askot in respect of his land not held by a *guzaredar* or *khaikar,* or a *guzaredar* in Pargana Askot;

(*b*) "khaikar" has the meaning assigned to the expression in the existing law relating to land tenure applicable to Kumaun and Garhwal Divisions, but does not include a *maurusidar* or *halbandi muafidar;*

(*c*) "land" means land, whether cultivated or not, in respect of which revenue is or is liable to be assessed or paid and which is held or occupied by—

(i) a *bhumidhar* or *sirdar* ; or

(ii) an intermediary where the land is in his personal cultivation, or is held as his *sir* or *khudkasht* or grove,

for purposes connected with agriculture, horticulture, or animal husbandry, which includes pisciculture and poultry farming;

(*d*) "tax" or "land development tax" means the tax payable under this Act ;

(*e*) the expressions "sub-proprietor" and "under-proprietor" have the meanings assigned to them in the U. P. Land Revenue Act, 1901 ;

(*f*) the expressions "agricultural year", "grove", *"khudkasht"*, "permanent lessee in Avadh", "permanent tenure-holder", *"sir"* and *"thekedar"* have the meanings assigned to them in the U. P. Tenancy Act, 1939;

(*g*) the expressions *"bhumidhar", "sirdar",* and "proprietor" have the meanings assigned to them in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 ; and

(*h*) the expression *"hissedar"* has the meaning assigned to it in the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960.

Imposition of tax.

3. There shall be charged, levied and paid, for each agricultural year, a tax on all lands at the rates specified in the Schedule, to be known as the land development tax :

Provided that in respect of the agricultural year commencing on July 1, 1971, only one-half of the said tax shall be charged, levied and paid.

Mode of recovery.

4. The land development tax on any land shall, for purposes of levy and payment, be deemed to be a part of, and be added to, the land revenue due in respect of such land, and accordingly, the provisions of Chapter X of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (excepting section 247-B and provisions relating to settlement) or Chapter VIII of the U. P. Land Revenue Act, 1901, as the case may be, and any rules made under the said Acts in respect of the said provisions shall apply *mutatis mutandis* in relation to the tax as they apply in relation to revenue :

Provided that in respect of the agricultural year commencing on July 1, 1971, the tax shall be deemed to be a part of, and be added to, the *rabi* instalment of the land revenue.

Utilization

5. (1) At the beginning of each financial year, after due appropriation has been made by law, the State Government shall withdraw from and out of the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to sixty per cent of the sums received by it in the preceding financial year on account of the land development tax and place it to the credit of a separate fund, to be called the Uttar Pradesh Gramin Vikas Nidhi, and such credit to the said Nidhi shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State.

(2) From and out of the Uttar Pradesh Gramin Vikas Nidhi, no sums shall be paid or applied except for the following purposes in the rural areas of the State :—

(*a*) irrigation ;

(*b*) medical facilities and public health ;

(*c*) construction and maintenance of roads ;

(*d*) electrification ;

(*e*) drinking water schemes approved by the State Government.

(3) The maintenance and operation of the said Nidhi, including the investment or re-investment of sums to its credit, shall be regulated by rules made under this Act.

(4) At the beginning of each financial year, after due appropriation has been made by law, the State Government shall withdraw from and out of the Consolidated Fund of the State, an amount equivalent to forty per cent of the sum received by it in the preceding financial year on account of land development tax and—

(*a*) place an amount equivalent to fifteen per cent of the sums so received to the credit of the Zila Nidhis established under section 99 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, in such proportions as the State Government may by general or special order, determine ; U. P. Act XXXIII of 1961.

(*b*) out of an amount equivalent to twenty-five per cent of the sums so received, pay a sum of fifty lakh rupees to the State Electricity Board for the due supply of energy to electric lamps used for the lighting of streets in such villages as have been electrified, and place the balance to the credit of the Kshettra Nidhis established under the said section 99 and to the Gaon Funds established under section 32 of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, in such proportions as the State Government may by general or special order determine. U. P Act XXVI of 1947.

(5) The expenditure of the amounts mentioned in sub-section (4) in accordance with the provisions of that sub-section shall be charged on the Consolidated Fund of the State.

(6) Notwithstanding anything in the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961 or in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, as the case may be— U. P. Act XXXIII of 1961.

(*a*) a Zila Parishad shall not pay or apply any sums so credited to the Zila Nidhi except for purposes of erection or re-erection of buildings of primary schools and junior high schools or construction of roads or other plan works approved by the State Government ; U. P. Act XXVI of 1947.

(*b*) A Kshettra Samiti or a Gaon Sabha shall not pay or apply any sums so credited to the Kshettra Nidhi or Gaon Fund, as the case may be, except for purposes of such drinking water schemes as may be approved by the State Government and construction and maintenance of roads and culverts and drains and electrification.

Power to make rules.

6. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect, from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the State Legislature may during the said period agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Repeal and Savin.

7. (1) The Uttar Pradesh Land Development Tax Ordinance, 1972, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had come into force on June 16, 1972. U. P. Ordinance No. 11 of 1972.

Sec 8/75

SCHEDULE

(*See* Section 3)

The land development tax shall be payable at the rates specified below :—

(A) In the case of a *bhumidhar* or *sirdar*—	
(i) The total area of land held in Uttar Pradesh by whom and members of whose family does not exceed 1.2647 hectares (3.125 acres).	Nil.
(ii) The total area of land held in Uttar Pradesh by whom and by members of whose family exceeds 1.2647 hectares (3.125 acres) but does not exceed 2.5293 hectares (6.25 acres).	50 per cent of the land revenue payable or deemed under sub-section (5) of section 247-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, to be payable by him or by members of his family.
(iii) The total area of land held in Uttar Pradesh by whom and by members of whose family exceeds 2.5293 hectares (6.25 acres) but does not exceed 5.0586 hectares (12.50 acres).	100 per cent of the land revenue payable by him or by members of his family.
(iv) The total area of land held in Uttar Pradesh by whom and by members of whose family exceed 5.0586 hectares (12.50 acres).	150 per cent of the land revenue payable by him or by members of his family.
(B) In the case of an intermediary	150 per cent of the land revenue payable by him.

Explanation—For the purposes of this Schedule—

(*a*) 'family' consists of an individual, his or her spouse, and minor children, whether they are joint or not with the individual ;

(*b*) the determination of shares under sub-section (2) of section 247-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall be final and binding.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—190 जनरल (लेग०)—1972—1,823 (मे०) ।